

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 02 दिनांक 06.08.2016

निविदा प्रक्रिया उपरान्त भूमि सहित आधुनिक वधशाला निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 61 दि 07.05.2016 पर प्रभारी स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राय क्रमांक 157 दिनांक 03.08.16 एवं आयुक्त का पत्र क्रमांक 251 दिनांक 06.08.2016 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई विस्तृत स्थिति एवं निविदा समिति की अनुशंसा के प्रकाश में भूमि सहित आधुनिक वधशाला निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं में सफल निविदाकार फर्म सनसाईन एग्रो फूड इण्डिया प्रा. लि. की दर रुपये 15 लाख (अक्षरी रुपये-पन्द्रह लाख मात्र) प्रतिवर्ष नगर निगम में जमा करने की निविदा की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। यह वधशाला जीरो डिस्चार्ज आधारित आधुनिक वधशाला की श्रेणी में रहेगी तथा निगम निधि से इसके निर्माण में कुछ भी खर्च नहीं होगा। 20 वर्षों के लिये सफल निविदाकार प्लान्ट एवं मशीनरी का संधारण एवं संचालन स्वयं करेगा तथा इसमें भूमि की उपलब्धता निविदाकार को स्वयं करना होगी। आयुक्त को सफल निविदाकार से अनुबंध एवं कार्य आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबत नियमानुसार समस्त कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 06.08.2016

इन्दौर शहर को खुले में शौच से मुक्त घोषित वार्डों में खुले में शौच/पेशाब करते पाए जाने पर राशि रूपये 100 का दण्ड आरोपित किए जाने हेतु प्रस्ताव के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 452 दिनांक 06.08.16 पर विचार किया गया। म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 1247/08/18-2, भोपाल दिनांक 11 अप्रैल 2008 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 418 (क) (1) के तहत "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम तथा शासन के उक्त आदेश के क्रम में नगर निगम सीमा क्षेत्र में खुले में शौच/पेशाब से मुक्त घोषित किए जा रहे वार्डों में खुले में शौच/पेशाब करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर राशि रूपये 100 का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने एवं अर्थदण्ड की राशि वसूली की शक्ति आयुक्त नगर निगम/आयुक्त द्वारा अधिकृत निगम अधिकारी को निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से प्रदत्त की जाकर अधिकृत किया जाता है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 04 दिनांक 06.08.2016

उपयंत्री (सिविल) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2516 दि. 04.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति अनुसार शासन द्वारा 43 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को निगम में नियुक्त करने व आदेश जारी करने की स्वीकृति एवं उपयंत्री (सिविल) बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु नियुक्त 17 उपयंत्री (सिविल) की निगम में नियुक्ति की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है। इस संबंध में की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

3. निगम में कार्यरत मस्टर उपयंत्री एवं मस्टर कर्मचारियों को नियमानुसार नियमितिकरण करने हेतु शासन से अनुशंसा की जावे। इस हेतु भी समस्त कार्यवाही के लिए आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिट ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 05 दिनांक 06.08.2016

वर्ष 2016-17 में कर्मचारियों/कामगारों के सामान्य भविष्य निधि खाते की जमा राशि से अनाज ऋण (अग्रिम) राशि का भुगतान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 57 दिनांक 05.05.16 पर प्रभारी वित्त एवं लेखा विभाग की राय क्रमांक 28 दिनांक 23.05.16 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 28.08.2015 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रतिवर्षानुसार निगम कर्मचारियों एवं कामगारों को पूर्व शर्तों अनुसार सामान्य भविष्य निधि खाते में से मांग पत्र अनुसार पात्र कर्मचारियों को राशि रूपये 15,000/- (अक्षरी-राशि रूपये पन्द्रह हजार) भुगतान करने की स्वीकृति/पुष्टि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है। जिन कर्मचारियों/कामगारों की नियुक्ति 01-01-2005 के पश्चात की गई है तथा फिक्स वेतन पाने वाले एवं लंबी अवधि से अनुपस्थित कर्मचारियों को अनाज अग्रिम ऋण से मुक्त रखा जावे।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिटर ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 06 दिनांक 06.08.2016

राजीव आवास योजनान्तर्गत ग्राम टिगरियाराव में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 177 दिनांक 24.6.2016।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रू. 1284.11 लाख की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 07 दिनांक 06.08.2016

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलों के भ्रमण के दौरान की गई घोषणा संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 260 दिनांक 20.07.2016 पर यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग की राय क्रमांक 83 दिनांक 27.07.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में माननीय मुख्यमंत्री जी इन्दौर जिले के भ्रमण के दौरान (घोषणा क्र. बी-1539/25.01.2016) की गई घोषणा के पालन में राजेन्द्र नगर ओव्हर ब्रिज का नामकरण शहीद प्रतीक पुणतांबेकर के नाम से करने की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 08 दिनांक 06.08.2016

बीएसयूपी योजनान्तर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों के आवंटन हेतु हितग्राहियों की सूची के नाम अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 202 दि.30.6.2016 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में आयुक्त पत्र में उल्लेखित अनुसार बीएसयूपी योजनान्तर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों का हितग्राहियों को आवंटित सूची का अनुमोदन किया जाता है।

3. चर्चा के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि, पूर्व में झुग्गी बस्ती क्षेत्रों से निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. मकानों में शिफ्ट किये गये हितग्राहियों को शिफ्टिंग के दौरान ही बैंक लोन कराकर हितग्राहियों के अंशदान की राशि निगम में जमा कराई जाना थी, किन्तु नगर निगम को जमा की जाने वाली वांछित राशि में अपेक्षा अनुसार कार्य अधीक्षण यंत्री श्री हरभजनसिंह द्वारा नहीं किया गया। अतः श्री हरभजन सिंह अधीक्षण यंत्री को आदेशित किया जाता है कि अगले 02 माह में केम्प आयोजित कर हितग्राहियों का बैंको से लोन स्वीकृत कराते हुए नगर निगम के पक्ष में राशि जमा कराई जावें, निर्धारित अवधि में कार्य नहीं होने की दशा में श्री हरभजनसिंह अधीक्षण यंत्री पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन को पत्र लिखा जावें। उक्त समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाइट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 09 दिनांक 06.08.2016

नगर पालिक निगम, इन्दौर के पेंशनरों को 06 प्रतिशत महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2151 दिनांक 19.07.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21 जून 2016 के आदेश अनुसार नगर निगम, इन्दौर के समस्त पेंशन/परिवार पेंशनरों को 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 अर्थात वृद्धित 06 प्रतिशत दिये जा रहे महंगाई राहत की पुष्टि की जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिट ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 10 दिनांक 06.08.2016

घरेलु व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करने (झोन क्रमांक 8,10,11,18 एवं 19) के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 4319 दिनांक 18.03.2016 पर प्रभारी जलकार्य तथा सीवरेज विभाग की राय क्रमांक 100 दिनांक 22.03.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,70,00,000/- की दिनांक 30.01.2016 को प्राप्त निविदा में निविदा दरदाता मेसर्स पंचमुखी इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर पर निगोसिएशन में दी गई सहमति एवं निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निगोसिएट दर 26 प्रतिशत अधिक पर कुल राशि रूपये 2,14,20,000/- पर कार्य कराने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद स्वच्छ भारत योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं निगम अंशदान में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 11 दिनांक 06.08.2016

श्री ईशान जोगेश पिता हरिशचन्द्र दंडा (होटल लेन्टर्न) 28 यशवंत निवास रोड इन्दौर सर्विस क्रमांक 709502984 की जॉच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 9852 दिनांक 09.03.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अपील की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 12 दिनांक 06.08.2016

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्रीमती दर्शना मोरे की दिनांक 01.03.2016 से अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 8539 दिनांक 31.03.2016 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 416 दिनांक 26.05.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 118 दिनांक 28.08.2015 के तारतम्य में प्रधान कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की समयावधि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 अक्टूबर 2016 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "संबंधित बजट मद" में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्यरत श्रमिकों के नाम भी प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 13 दिनांक 06.08.2016

शासन आदेशानुसार नगर पालिक निगम, इन्दौर में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को 01 जनवरी 2016 से 125 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1866 दिनांक 01.07.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 जून 2016 के आदेश अनुसार नगर निगम, इन्दौर के समस्त अधिकारी/कर्मचारी को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता वृद्धि कर कुल 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति/पुष्टि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिटर ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 14 दिनांक 06.08.2016

स्कीम नं. 54 पीयू-4 फार्च्यून लेण्डमार्क के समीप निर्माणधीन पार्किंग भवन की कार्यावधि दिनांक 31 मई 2015 वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 176 दिनांक 14.7.2016 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों अनुसार मेसर्स सोम. प्रोजेक्ट इन्दौर की कार्य अवधि की वृद्धि दिनांक 31 मई, 2015 तक विभागीय प्रस्ताव अनुसार करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। एस्केलेशन हेतु फरवरी, 2015 के इण्डेक्स को फ्रीज कर आधार बनाते हुए गणना की जावे।

3. चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि, ईपीसी कान्ट्रेक्टर के तहत तैयार की गई बहुतलिय पार्किंग को आपरेशन एवं उसके संचालन व संधारण हेतु आउटसोर्स ऐजेन्सी चयन बाबद अधीक्षण यंत्री श्री हरभजनसिंह 01 माह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। ऐजेन्सी चयन हेतु निविदा जारी करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाकर इस हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है, साथ ही कार्य योजना में बहुतलिय पार्किंग के आसपास के क्षेत्रों का आंकलन/सर्वे किया जावे, जिससे सक्षम प्राधिकारी से नो-पार्किंग क्षेत्र घोषित कराया जा सकें।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 15 दिनांक 06.08.2016

वर्ष 2016-17 में कर्मचारियों/कामगारों को गोगा नवमी एवं रक्षाबंधन आदि प्रमुख त्यौहारों पर अग्रिम राशि का भुगतान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 168 दिनांक 25.07.16 पर प्रभारी वित्त एवं लेखा विभाग की राय क्रमांक 34 दिनांक 30.07.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में निगम कर्मचारियों एवं कामगारों को प्रतिवर्षनुसार गोगानवमी (अग्रिम) संबंधित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते से राशि रूपये 3000/- (अक्षरी-राशि रूपये तीन हजार) तथा रक्षाबंधन आदि प्रमुख त्यौहारों को मनाने के लिये राशि रूपये 600/- (अक्षरी- राशि रूपये छः सौ) निगम खाते से मांग अनुसार पात्र कर्मचारियों को भुगतान करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। जिन कर्मचारियों/कामगारों की नियुक्ति 01-01-2005 के पश्चात की गई है, उन्हें उक्त "गोगानवमी" अग्रिम से मुक्त रखा जावे।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिट ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 16 दिनांक 06.08.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) (HFA) के प्रथम चरण में सम्मिलित लोधा कॉलोनी पी.सी. सेठी नगर में आई.आर.डी. घटक के अंतर्गत प्रस्तावित जन-निजी भागीदारी (Public Private partnership- PPP) परियोजना को शासन की ओर भेजे जाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 96/योजना/दिनांक 02.06.16 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय दिनांक 03.08.2016 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 154 दिनांक 12.12.2015 संकल्प क्रमांक 295 दिनांक 21.03.2016 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डेवलपर्स के चयन हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर.फॉर.पी.) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं शासन के परिपत्र अनुसार Format-I एवं Format-II की जानकारी योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय सशक्त समिति को नियमानुसार भेजे जाने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 17 दिनांक 06.08.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) (HFA) के प्रथम चरण में सम्मिलित भूरी टेकरी पर प्रस्तावित आवासीय इकाईयों के निर्माण की प्रशासकीय, तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 63/योजना/दिनांक 20.5.16 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय दिनांक 03.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सादर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9645.36 लाख के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 18 दिनांक 06.08.2016

शहर के मुख्य मार्गों का रिसर्फेसिंग एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य के अन्तर्गत पश्चिमी रिंग रोड को सम्मिलित किये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 77/योजना/दिनांक 13.05.2016 पर प्रभारीजनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 28 दिनांक 04.07.2016 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 532 दिनांक 31.08.2013 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 532 दिनांक 31.08.2013 से स्वीकृत सड़क रिसर्फेसिंग एवं सौन्दर्यीकरण निविदा कार्य में पश्चिमी रिंग रोड को सम्मिलित करने एवं निर्माण कंपनी मेसर्स पी.डी. अग्रवाल लि. इंदौर से कार्य कराये जाने तथा उक्त कार्य का व्यय निगम मद से किये जाने की दी गई स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय निगम मद में से होगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 19 दिनांक 06.08.2016

माणिकबाग ब्रिज रेल्वे ओवर ब्रिज के नीचे बोगदों का व्यावसायिक उपयोग जमा अर्नेस्टमनी वापस करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 55 दिनांक 12.7.2016 पर प्रभारी जनकार्य की राय क्रमांक 30 दिनांक 27.07.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से बोगदें बनाने की अनुमति प्राप्त नहीं होने तथा उक्त कार्य की आमंत्रित निविदा को लगभग 8 से 9 वर्ष होने से निविदादाता फर्म मेसर्स पल्स क्रिएशन, इन्दौर के द्वारा निविदा में जमा अर्नेस्टमनी की राशि रुपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये- पांच लाख मात्र) वापस लौटाई जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा निविदा को निरस्त करते हुवे प्रकरण नस्तीबद्ध करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 21 दिनांक 06.08.2016

प्राणी संग्रहालय में विगत कई वर्षों से लगातार कार्यरत 02 कुशल व 23 अकुशल कुल 25 दैनिक वेतन भोगियों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1081 / प्राणी संग्रहालय दिनांक 21.01.2016 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 352 दिनांक 14.03.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 99 दिनांक 28-08-2015 के तारतम्य में प्राणी संग्रहालय में कार्यरत 02 कुशल व 23 अकुशल कुल 25 दैनिक वेतन भोगियों की (03 अनुपस्थित मस्टर कर्मियों के स्थान पर रखे गये 03 नवीन मस्टर कर्मियों की स्वीकृति/पुष्टि सहित) समयावधि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) समयावधि समाप्त होने की दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक कार्य लेने की स्वीकृति तथा इस संबंध में आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधि वृद्धि हेतु जारी आदेश की पुष्टि की जाती है। इसमें होने वाला व्यय "संबंधित बजट मद" में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्यरत श्रमिकों के नाम भी प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्ट आडिटर ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 22 दिनांक 06.08.2016

इन्दौर शहर के समस्त झोनों पर अंडर ग्राउंड ड्रेनेज लाईन सफाई कार्य हेतु रखे गये टास्क फोर्स के कुल 60 श्रमिकों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 4282 दि. 173.16 पर प्रभारी जलकार्य विभाग की राय क्रमांक 101 दिनांक 22.05.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 23.03.015 के तारतम्य में समस्त झोनों पर अंडर ग्राउंड ड्रेनेज लाईन सफाई कार्य हेतु रखे गये टास्क फोर्स के कुल 60 श्रमिकों की समयावधि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए दिनांक 01 जुलाई 2016 से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति तथा इस संबंध में आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधि वृद्धि हेतु जारी आदेश की पुष्टि सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद 2101021 "अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक व्यय" में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्यरत श्रमिकों के नाम भी प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिटर ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 23 दिनांक 06.08.2016

राजीव आवास योजनान्तर्गत ग्राम बड़ा बागडदा में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 179 दिनांक 24.6.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 5597.88 लाख की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 24 दिनांक 06.08.2016

राजीव आवास योजनान्तर्गत ग्राम लिम्बोदी में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 178 दिनांक 24.6.2016।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 3424.28 लाख की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 25 दिनांक 06.08.2016

निगम के मस्टर कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा का लाभ प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 10 दिनांक 12.07.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मान्नीय कर्मचारी राज्य बीमा श्रम न्यायालय के आदेश के परिपालन में निगम के जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज व वर्कशॉप विभाग के कार्यरत मस्टर कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. का लाभ प्रदान करने स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। उक्त सुविधा का लाभ निगम के अन्य विभागों में कार्यरत मस्टर कर्मचारियों को दिये जाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिट ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 26 दिनांक 06.08.2016

श्री संजय कुमार पिता श्री कैलाश बाहेती की सम्पत्ति स्थित 2-सी रेसीडेंसी एरिया इन्दौर सर्विस क्रमांक 710600266 की जॉच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 7520 दिनांक 23.12.2015 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 38 दिनांक 18.05.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अपील की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 27 दिनांक 06.08.2016

शहर के मुख्य मार्गों पर नदी/नालों पर स्थित पुलों का निर्माण कार्य पैकेज-1 के पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 229/एसई/योजना दिनांक 23.06.2016 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 221 दिनांक 20.06.12 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्यों की पूर्व स्वीकृति के क्रम में पुलों के निर्माण कार्य बढ़ने एवं मौके की परिस्थियों अनुसार पुनरीक्षित अनुमान पत्रक अनुसार अतिरिक्त संभावित व्यय राशि रूपये 3.38 करोड़ (एमपीयूएडीडी एस.ओ.आर दिनांक 01.06.2011 पर 82.5 प्रतिशत अधिक सहित) की प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति व मे. सोम प्रोजेक्ट प्रा. लि. से स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि एवं कार्य की समयावधि 16 मई 2016 तक बढ़ाये जाने की विभागीय प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 28 दिनांक 06.08.2016

शहर के विभिन्न नदी/नालों पर पुल निर्माण के अन्तर्गत कुलकर्णी भट्टा पुल के निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 85/योजना/दिनांक 18.5.16। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 657 दिनांक 27.12.16 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 9.86 करोड़ की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

घरेलु व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करने (झोन क्रमांक 8,10,11,18 एवं 19) के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 4319 दिनांक 18.03.2016 पर प्रभारी जलकार्य तथा सीवरेज विभाग की राय क्रमांक 100 दिनांक 22.03.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,70,00,000/- की दिनांक 30.01.2016 को प्राप्त निविदा में निविदा दरदाता मेसर्स पंचमुखी इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर पर निगोसिएशन में दी गई सहमति एवं निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निगोसिएटेट दर 26 प्रतिशत अधिक पर कुल राशि रूपये 2,14,20,000/- पर कार्य कराने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद स्वच्छ भारत योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं निगम अंशदान में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 28

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 29 दिनांक 06.08.2016

श्री विपीन कुमार पिता कैलाश बाहेती की सम्पत्ति स्थित 2-सी रेसीडेन्सी एरिया इन्दौर सर्विस क्रमांक 754500067 की जाँच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 7516 दिनांक 23.12.2015 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 40 दिनांक 18.05.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण एवं भविष्य में आने वाले अन्य अपील प्रकरणों की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।

- की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 29

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 30 दिनांक 06.08.2016

श्रीमती रूकमा पति संजय कुमार बाहेती की सम्पत्ति स्थित 2-सी रेसीडेन्सी एरिया इन्दौर सर्विस क्रमांक 710600303 की जाँच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 7518 दिनांक 23.12.2015 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 41 दिनांक 18.05.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अपील की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 30

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 31 दिनांक 06.08.2016

श्रीमती सारिका पति विपीन कुमार बाहेती की सम्पत्ति स्थित 2-सी रेसीडेंसी एरिया इन्दौर सर्विस क्रमांक 754500078 की जाँच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 7517 दिनांक 23.12.2015 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 39 दिनांक 18.05.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अपील की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 32 दिनांक 06.08.2016

सयाजी होटल मिलिटेड डायरेक्टर स्कीम नं.54 एम.आर. 10 इंदौर सर्विस क्रमांक 624313939 की जाँच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01.04.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अपील की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 33 दिनांक 06.08.2016

श्रीमती किरण पति संजय कुमार बाहेती की सम्पत्ति स्थित 2-सी रेसीडेन्सी एरिया इन्दौर सर्विस क्रमांक 710600277 की जॉच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 7519 दिनांक 23.12.2015 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 42 दिनांक 18.05.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अपील की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 34 दिनांक 06.08.2016

रिया होटल लिमिटेड स्थित 12/13/14/सी/सी-ए योजना क्रमांक 94 सेक्टर-सी इन्दौर सर्विस क्रमांक 624312055 की जाँच के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 905 दिनांक 28.05.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अपील की सुनवाई कर अभिमत सहित एम.आय.सी. में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री सूरज कैरो, प्रभारी, राजस्व विभाग
- 2- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 3- श्री सुधीर देड़गे, प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 35 दिनांक 06.08.2016

शहर के विभिन्न वार्डों में पुल/पुलिया निर्माण कार्य के अन्तर्गत पैकेज-7 (विजय पैलेस एवं गुरुनानक कॉलोनी) की पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 68/एस.ई./योजना दिनांक 12.05.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्यों की पूर्व स्वीकृति के क्रम में मौके पर नाले में फाउण्डेशन की गहराई बढ़ने एवं नाले एवं सड़क की चौड़ाई के निर्माण कार्य से पुल के दोनों ओर एप्रोच रोड, स्टार्म वाटर, रेलिंग, क्रेश बेरियर, वियरिंग कोट फिनिशिंग आदि वृद्धि कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुबंध की शर्तों व प्रावधान अनुसार पुनरीक्षित अनुमान पत्रक अतिरिक्त संभावित व्यय राशि रुपये 38,12,822/- की प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति व मे. सुनिल चौकसे, इन्दौर से स्वीकृत दर पर कार्य कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति /पुष्टि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 36 दिनांक 06.08.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) (HFA) के प्रथम चरण में अफोर्डेबल हाउसिंग घटक (AHP) में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से ऋण लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 186 HFA/योजना/दिनांक 28.07.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) (HFA) के प्रथम चरण में अफोर्डेबल हाउसिंग घटक (AHP) में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों के निर्माण एवं योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 102 से 105 के प्रावधानान्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से राशि रुपये 200.00 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 37 दिनांक 06.08.2016

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलों के भ्रमण के दौरान की गई घोषणा संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 259 दिनांक 20.07.2016 पर यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग की राय क्रमांक 82 दिनांक 27.07.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में माननीय मुख्यमंत्री जी इन्दौर जिले के भ्रमण के दौरान (घोषणा क्र. बी-1540/25.01.2016) की गई घोषणा के पालन में केसर बाग ब्रिज का नामकरण स्व. श्री नारायणराव धर्मजी के नाम से करने की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 38 दिनांक 06.08.2016

कडाबीन स्थित चौक का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौक करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 530 दिनांक 08.03.2016 पर यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग की राय क्रमांक 85 दिनांक 08.06.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में कडाबीन स्थित चौक का नामकरण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद जी वर्मा) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौक " के नाम से करने की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 39 दिनांक 06.08.2016

नवलखा चौराहे से रिंग रोड चौराहा तक के मार्ग का नाम शहीद देवेन्द्रसिंह सलूजा इन्दौर के नाम करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 529 दिनांक 08.03.2016 पर यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग की राय क्रमांक 86 दिनांक 08.06.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में नवलखा चौराहे से रिंग रोड चौराहा तक के मार्ग का नामकरण शहीद देवेन्द्रसिंह सलूजा इन्दौर के नाम से करने की स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 40 दिनांक 06.08.2016

राजस्व विभाग में दैनिक वेतन पर कार्यरत 20+1 कुल 21 मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 9711 दिनांक 03.03.16 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 37 दिनांक 18.05.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 23.03.2015 के तारतम्य में 20 कुशल एवं 01 अकुशल इस प्रकार कुल 21 मस्टर श्रमिकों की समयावधि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए दिनांक 01 मार्च 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति तथा इस संबंध में आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधि वृद्धि हेतु जारी आदेश की पुष्टि सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्यरत श्रमिकों के नाम भी प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिटर ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाइट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 41 दिनांक 06.08.2016

श्री कृष्ण टॉकिज सिनेमा के पास स्थित बगीचे का जीर्णोद्धार करने एवं गेट बनवाकर श्री श्रद्धेय हरिहर लहरी जी के नामकरण करने के संबंध में अध्यक्ष श्री हरिहर लहरी स्मृति संस्थान, इन्दौर का पत्र क्रमांक 10 दिनांक 09.06.16 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचरोपरान्त चर्चा के प्रकाश में श्री कृष्ण टॉकिज सिनेमा के पास स्थित बगीचे का नामकरण "श्री श्रद्धेय हरिहर लहरी जी" के नाम से करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। आयुक्त नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिट ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 42 दिनांक 06.08.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) (HFA) के प्रथम चरण में सम्मिलित बड़ाबागरदा पर प्रस्तावित आवासीय इकाईयों के निर्माण की प्रशासकीय, तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 62/योजना/दिनांक 20.5.16 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय दिनांक 03.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 15510.22 लाख के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल ।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 43 दिनांक 06.08.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) (HFA) के प्रथम चरण में सम्मिलित निरंजनपुर नई बस्ती पर प्रस्तावित आवासीय इकाईयों के निर्माण की प्रशासकीय, तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 61/योजना/दिनांक 20.5.16 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय दिनांक 03.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सादर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 24651.13 लाख के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल ।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 44 दिनांक 06.08.2016

श्री अहिल्या उत्सव समिति को समारोह हेतु प्रतिवर्ष मिलने वाला वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 06.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 31.08.2016 को माँ देवी अहिल्या की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए श्री अहिल्या उत्सव समिति को राशि रुपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये- पाँच लाख मात्र) का अनुदान बजट मद "अहिल्या पुरस्कार में निगम अंशदान"/अन्य मद में से देने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। दिये जाने वाला अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 45 दिनांक 06.08.2016

3 री अन्तर्राष्ट्रीय एशियन खो-खो प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं के लिये अनुदान राशि प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 05.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में दिनांक 08.04.2016 से दिनांक 10.04.2016 तक "3 रा अन्तर्राष्ट्रीय एशियन खो-खो प्रतियोगिता" के आयोजन पर होने वाली व्यवस्थाओं के लिये उक्त प्रतियोगिता के आयोजक हैप्पी वाण्डर्स, शान्तिपथ सबनीश बाग, इन्दौर को राशि रूपये 3,00,000/- (अक्षरी रूपये- तीन लाख मात्र) आर्थिक सहायता एवं अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी है। दिये जाने वाला अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 47 दिनांक 06.08.2016

जेएनएनयूआरएम शाखा में पदस्थ पीआईयू सदस्य श्री तंवर एवं श्री गुप्ता को निगम की योजनाओं में समावेश करने एवं उनकी अवधि वृद्धि संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 91 दिनांक 13.05.2016 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय दिनांक 03.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्तमान में हाउसिंग फॉर आल-2022 (सबके लिये आवास), अमृत योजना स्मार्ट सिटी भारत सरकार द्वारा लॉच की गई है तथा इन्दौर नगर निगम द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया जा चुका है तथा प्रथम चरण की डीपीआर बनाकर शासन को दी जा चुकी है। सम्पूर्ण योजना में अनुभवी इंजीनियर की आवश्यकता के क्रम में श्री चन्द्रशेखर तंवर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एवं श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रोक्यूरमेन्ट ऑफिसर के कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुए योजना शाखाओं में इनकी सेवाओं का एक्सटेंशन हाउसिंग फॉर आल आदि योजनाओं में करने तथा श्री गुप्ता एवं तंवर की अवधि कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर अवधि समाप्ति दिनांक से तीन वर्ष तक अवधि वृद्धि करते हुए राशि रुपये 65,000/- प्रतिमाह मानदेय विभागीय प्रस्ताव अनुसार देने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिटर ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 51 दिनांक 06.08.2016

विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित योजना एवं वर्तमान स्थिति का सर्वे कराने हेतु वार्षिक दर निर्धारण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 1390 दिनांक 23.07.2016 पर प्रभारी जलकार्य तथा सीवरेज विभाग की राय क्रमांक 03 दिनांक 31.07.16 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 795 दिनांक 20.01.2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु द्वितीयबार दिनांक 29.10.2015 को तकनीकी रूप से पात्र 02 निविदाओं में न्यूनतम निविदादरदाता फर्म एस. एन. एस. एसोसिएट्स इन्दौर द्वारा निगोसिएशन से दी गई सहमति एवं निगोसिएशन समिति की अनुशंसा अनुसार निगोसिएटेट दर 2.70 प्रतिशत अधिक की वार्षिक दर निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति दी जाती है। टेण्डर की शर्त अनुसार निविदा में भाग लेने वाले अन्य निविदादाता जो तकनीकी रूप से पात्र उनसे उक्त स्वीकृत दर पर नियमानुसार सहमति एवं अनुबंध कर कार्य कराया जा सकेगा। इसमें होने वाला व्यय बजट मद " सर्वे व्यय" में से होगा।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,। संलग्न 1 फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 52 दिनांक 06.08.2016

माननीय मुख्यमंत्रीजी के जन्म दिन पर प्राणी संग्रहालय में प्रवेश निशुल्क करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1278/प्राणी संग्रहालय दिनांक 06.03.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार माननीय मुख्यमंत्री, श्री शिवराजसिंह जी चौहान के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 05 मार्च 2016 (एक दिन) को प्राणी संग्रहालय में आम दर्शकों/बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क किये जाने की पुष्टि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 53 दिनांक 06.08.2016

शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ एवं एनयूएलएम में कार्यरत संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटरों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2506 दिनांक 06.02.015 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 47 दिनांक 28.08.015 के तारतम्य में शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ एवं एनयूएलएम में कार्यरत 05 मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि की समयावधि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति तथा इस संबंध में आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधि वृद्धि हेतु जारी आदेश की पुष्टि सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्यरत श्रमिकों के नाम भी प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिट ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 54 दिनांक 06.08.2016

राजीव आवास योजना अंतर्गत गठित सी.एल.टी.सी. में कार्यरत श्री नीरज मिश्रा, पी.पी.पी. विशेषज्ञ को हाउसिंग फॉर ऑल 2022 की सी.एल.टी.सी. में संविलियन करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 107/एचएफए/2016/जेएनएनयूआरएम दिनांक 20.05.16 पर विचार किया गया। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./या.प्र./07/2016/4641 भोपाल दिनांक 30.03.2016 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में श्री नीरज मिश्रा, पी.पी.पी. विशेषज्ञ द्वारा बी.एस.यू.पी. परियोजना राजीव आवास योजना एवं हाउसिंग फॉर ऑल 2022 के समस्त कार्यों का संपादन जिम्मेदारी एवं निष्ठा से किया जा रहा है, संचालनालय हाउसिंग फॉर ऑल 2022 की सी.एल.टी.सी. अंतर्गत सुझाये गये 01 पद के विरुद्ध श्री नीरज मिश्रा को सामाजिक विकास विशेषज्ञ के पद पर देय वर्तमान वेतन पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ दिनांक 31 मार्च 2017 तक निरंतर किये जाने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वममति से दी जाती है। नियमानुसार कार्यवाही के लिए आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 55 दिनांक 06.08.2016

योजना क्रमांक 54 स्थित मेघदूत उपवन की भूमि एम्यूजमेन्ट पार्क के विकास हेतु इन्दौर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 586 दि. 04.03.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में योजना क्रमांक 54 स्थित मेघदूत उपवन की भूमि से लगकर इन्दौर विकास प्राधिकरण के स्वत्वाधीन भूमि (मंगल मेरीलेण्ड) स्थित है। इन्दौर विकास प्राधिकरण बोर्ड का संकल्प क्रमांक 99 दिनांक 16.07.2015 द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार निगम के मेघदूत उपवन एवं प्राधिकरण की उक्त भूमि को संयुक्त कर विकास हेतु एम्यूजमेन्ट पार्क का विकास जननिजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर किया जाना होने से मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा मेघदूत उपवनकी भूमि इन्दौर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने हेतु मांग की गई है। इन्दौर विकास प्राधिकरण की मांग के तारतम्य में शहर एवं जनहित में मेघदूत उपवन के विकास हेतु मेघदूत उपवन की भूमि इन्दौर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 56 दिनांक 06.08.2016

अपराध क्रमांक 09/05 में अन्तग्रस्त लोकसेवक आरोपी श्री हंसकुमार जैन ,सहायक यंत्री नगर पालिक निगम, इन्दौर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 8553 दिनांक 31.03.2016 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन की राय क्रमांक 412 दिनांक 26.05.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रकरण में स्पष्ट विधिक राय ली जावे, साथ ही संबंधित आरोपी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनका पक्ष भी सुना/लिया जावे। प्रकरण में संबंधित अधिकारी का पक्ष व विधिक राय आदि का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर प्रतिवेदन आयुक्त अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 57 दिनांक 06.08.2016

अपराध क्रमांक 57/2010 में अन्तर्गत लोकसेवक आरोपी श्री हंसकुमार जैन ,सहायक यंत्री नगर पालिक निगम, इन्दौर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 8552 दिनांक 31.03.2016 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन की राय क्रमांक 411 दिनांक 26.05.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रकरण में स्पष्ट विधिक राय ली जावे, साथ ही संबंधित आरोपी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनका पक्ष भी सुना/लिया जावे। प्रकरण में संबंधित अधिकारी का पक्ष व विधिक राय आदि का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर प्रतिवेदन आयुक्त अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 58 दिनांक 06.08.2016

ब्यूरो के अपराध क्रमांक 16/08 के अन्तर्गत लोकसेवक आरोपी श्री ए.यू. खान उद्यान अधिकारी एवं श्री शांतिलाल यादव, सहायक यंत्री, नगर पालिक निगम, इन्दौर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2381 दिनांक 21.07.2016 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन की राय क्रमांक 409 दिनांक 26.05.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में प्रकरण में स्पष्ट विधिक राय ली जावे, साथ ही संबंधित आरोपी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनका पक्ष भी सुना/लिया जावे। प्रकरण में संबंधित अधिकारी का पक्ष व विधिक राय आदि का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर प्रतिवेदन आयुक्त अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 59 दिनांक 06.08.2016

अपराध क्रमांक 79/14 विरुद्ध श्री रजनीश पंचौलिया, सहायक यंत्री विद्युत यांत्रिकी विभाग, नगर पालिक निगम, इन्दौर को न्यायालय में अभियोजित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1464 दिनांक 20.06.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रकरण में स्पष्ट विधिक राय ली जावे, साथ ही संबंधित आरोपी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनका पक्ष भी सुना/लिया जावे। प्रकरण में संबंधित अधिकारी का पक्ष व विधिक राय आदि का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर प्रतिवेदन आयुक्त अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 60 दिनांक 06.08.2016

अपराध क्रमांक 06/09 में अन्तग्रस्त लोकसेवक आरोपी श्री अश्विन जनवदे तत्कालीन भवन अधिकारी हाल सहायक यंत्री नगर पालिक निगम, इन्दौर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 120 दिनांक 04.04.2016 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन की राय क्रमांक 413 दिनांक 26.05.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में प्रकरण में स्पष्ट विधिक राय ली जावे, साथ ही संबंधित आरोपी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनका पक्ष भी सुना/लिया जावे। प्रकरण में संबंधित अधिकारी का पक्ष व विधिक राय आदि का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर प्रतिवेदन आयुक्त अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 61 दिनांक 06.08.2016

जल वितरण हेतु प्रायवेट वाटर टैंकर वाहन किराये पर लगाने बाबद आयुक्त का पत्र क्र. 1106 दिनांक 04.07.2016 पर प्रभारी जलकार्य तथा सीवरेज विभाग की राय क्रमांक 02 दिनांक 23.07.2016 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 64 दिनांक 13.08.2014 एवं संकल्प क्रमांक 303 दिनांक 21.03.2016 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र व संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं में प्राप्त दरें अधिक होने से निविदाएँ निरस्त करने की स्वीकृति दी जाती है। निगोसिएशन समिति के समक्ष निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों द्वारा दी गई सहमति एवं निगोसिएशन समिति की अनुशंसानुसार मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 64 दिनांक 13/08/2014 से स्वीकृत दर पर कार्य कराये जाने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। टेण्डर शर्त अनुसार निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार अनुबंध व कार्यवाही कर कार्य कराया जा सकेगा। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 62 दिनांक 06.08.2016

तिलक नगर मुक्तिधाम का नामकरण करने के संबंध में विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया का पत्र दिनांक 29.07.2016 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचरोपरान्त चर्चा के प्रकाश में तिलक नगर मुक्तिधाम का नामकरण पूर्व पार्षद "स्व.पं. श्री भवानी कश्यप" के नाम से करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। आयुक्त नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

इस बाबत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्टआडिट ।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 63 दिनांक 06.08.2016

इन्दौर शहर में जलवितरण नलिकाओं से जल संयोजन कार्य हेतु प्रत्येक वार्ड में रजिस्टर्ड प्लम्बर हेतु लायसेन्स जारी करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3687 दिनांक 06.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न पत्र व संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम के अन्तर्गत 85 वार्डों में प्लम्बर का रजिस्ट्रेशन किया जाने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। प्लम्बर रजिस्ट्रेशन दो श्रेणियों में किये जावें :-

1. एच.डी.पी.ई. पाईप लाईन से जल संयोजन हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ-साथ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन होने का आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
2. अन्य प्रकार की पाईप लाईन से जल संयोजन हेतु प्लम्बर को आवेदन के साथ अपना अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. प्लम्बर रजिस्ट्रेशन हेतु राशि रुपये 25,000/- की अमानत राशि की एफ.डी.आर. ली जावें। प्लम्बरिंग रजिस्ट्रेशन उपरान्त लायसेन्स शुल्क रुपये 2,000/- एक वर्ष हेतु निर्धारित किया जाता है। प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा।

4. प्लम्बर निर्धारित वार्ड में जल संयोजनों को चेक भी करेंगे तथा अवैध जल संयोजनों की जानकारी झोन स्तर पर सहायक यंत्री, जलप्रदाय को प्रस्तुत करेंगे। रजिस्टर्ड प्लम्बर्स द्वारा अवैध कनेक्शन का पता लगाने पर प्रत्येक अवैध नल कनेक्शन पर रुपये 100.00 (अक्षरी रुपये- एक सौ मात्र) अर्थदण्ड स्वरूप राशि उपभोक्ता से निगम द्वारा वसूल की जाकर प्लम्बर को प्रदान की जा सकेगी। यह अर्थदण्ड राशि जल संयोजन अवैध से वैध कराने हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त होगी।

5. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नल संयोजन उपविधिया 1959 के बिन्दू क्रमांक 10 में प्लम्बरिंग कार्य हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं होने से नियमानुसार शिथिल किये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाकर प्लम्बर रजिस्ट्रेशन हेतु अभिव्यक्ति की अभिरुचि आमंत्रित करने की भी स्वीकृति दी जाती है। इस हेतु निगम व जनहित में अन्य आवश्यक शर्तें जोड़ने व नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 64 दिनांक 06.08.2016

मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत इंदौर शहर में हितग्राहियों के निवास में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 676 दिनांक 19.10.15 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 66 दि. 21.10.15 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 4 दिनांक 28.08.2015 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में 4927 व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 6,70,07,200/-पर प्राप्त दर 28.90 प्रतिशत अधिक पर एम.आय.सी. द्वारा गठित निगोसिएशन समिति के समक्ष निविदा दरदाता श्री चन्द्रभान अयालदास द्वारा निगोसिएशन में दी गई सहमति एवं निगोसिएशन समिति की अनुशंसा अनुसार निगोसिएटेट दर 26 प्रतिशत अधिक की राशि सहित कुल आकार राशि रूपये 8,44,29,072/- के कार्य की वित्तीय, प्रशासकीय एवं निविदा दर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार समस्त अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 65 दिनांक 06.08.2016

मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत इन्दौर शहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के निवास में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 860 दिनांक 09.11.15 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 69 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु शहर सीमा क्षेत्र के 04 भागों में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु ग्रुप 01 के अन्तर्गत झोन क्रमांक 01, 02, 03, एवं 04 के लिए प्राप्त निविदा में निविदा दरदाता मेसर्स पूनम इंटरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 25 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 42,50,000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 2,12,50,000/-के कार्य की तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय व निविदादर एवं कार्यादेश जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा। शेष ग्रुप/भागों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जावें।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 67 दिनांक 06.08.2016

एयरपोर्ट रोड पर स्थित व्यास पुल के चौड़ीकरण कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 321 दि. 05.08.16 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 296 दिनांक 21.03.2016 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 4,74,00,000 /- पर प्राप्त निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स प्रभा एक्जीम प्रा.लि., इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 63.36 प्रतिशत अधिक (एम.पी.यू.ए.डी.डी. एस.ओ.आर. 10.05.12 पर) की राशि 3,01,60,620/- सहित कुल आकार राशि रूपये 7,75,60,620/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 68 दिनांक 06.08.2016

वित्तीय वर्ष 2014-15 में सार्व. नलकूपों, हेडपंपों, कुओं, संपवेलों के संचालन व संधारण संबंधी कार्य हेतु जारी कार्यादेश एवं निविदा की पुष्टि के संबंध में आयुक्त क्र. 2648 दि. 27.11.15 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 91 दि. 3.12.15 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर संधारण कार्य को चार झोनों में विभाजन कर संक्षेपिका में उल्लेखित पृथक-पृथक अनुमान पत्रक की तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदा आमंत्रण करने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

3. विभागीय प्रस्ताव प्रभारी जलकार्य विभाग की अनुशंसा एवं नगर पालिक निगम परिषद प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक 17.07.2015 के क्रम में फर्म मेसर्स हुलास जैन बिल्डकॉन, इन्दौर को आगामी 09 माह तक अथवा उपरोक्त निविदा स्वीकृत होने तक (जो भी पूर्व हो) की अवधिवृद्धि (दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2016 तक) का कार्यादेश जारी करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर